न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

<u>अनुमति वाद संख्या 47 / 2020–21</u>

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1 20/7/21		

आवेदक 1. नुवेल किड़ो 2. विजय मुकुल किड़ो 3. इग्नेस किड़ो तीनो के पिता पीटर किड़ो, जाति खड़िया, ग्राम–कोनबीर नवाटोली, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

<u>भूमि का विवरणी</u>

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
कलिगा	141	117	108	1.20 ए0 में से 0.45 ए0	दोन
कलिगा	141	117	166	0.71 ए0 में से 0.23 ए0	टांड
कलिगा	141	117	205	0.60 ए0 में से 0.20 ए0	टांड

कुल रकबा 0.88 (अठासी) डिसमील

प्लॉट सं0 108 का चौहदी :– उत्तर – राजेन्द्र लोहरा दक्षिण –पीटर सुरीन, पुरब– जोन किड़ो पश्चिम – राजेन्द्र लोहरा

प्लॉट सं0 166 का चौहदी :– उत्तर – फतेह साहु, दक्षिण – डेम्बु बघवार, पुरब– जोन किड़ो, पश्चिम – पीटर सुरीन

प्लॉट सं0 205 का चौहदी :– उत्तर – उदय महतो दक्षिण –जोन किड़ो पुरब– लुईस मुण्डा, पश्चिम – पौलुस तोपनो

<u>जमीन विक्रेता का विवरणी</u>

1. नुवेल किड़ो 2. विजय मुकुल किड़ो 3. इग्नेस किड़ो तीनो के पिता पीटर किड़ो, जाति खड़िया, ग्राम–कोनबीर नवाटोली थाना – बसिया, जिला– गुमला ।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

जमीन केता का विवरणी

बिरसा पहान पिता– सोमरा पहान जाति – खड़िया, ग्राम– कलिगा थाना बसिया, जिला गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता** बिरसा पहान पिता– सोमरा पहान जाति – खड़िया, ग्राम– कलिगा थाना बसिया जिला गुमला को राशि रूपये 1,00,000 (एक लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदने हेतु रूपय की आवश्यकता है। रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 306 दिनांक 19/07/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुषंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक 1. नुवेल किड़ो 2. विजय मुकुल किड़ो 3. इग्नेस किड़ो तीनो के पिता पीटर किड़ो, जाति खड़िया, ग्राम–कोनबीर नवाटोली थाना – बसिया, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 14:42:56 +05:30
Location: 192.168.0.112